

हमराज

ना दुष्कालाल
म

मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

92/17 20

हुकम या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम की
तारीख में जारी हुआ

वह प्रा. पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री ओपी कतरा Adv.

के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रा. पत्र दर्ज
रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रस्तुत कागजात का अवलोकन
किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की
जारी की जावे की विवाद ग्रस्त भूमि एक 7 ML खता सं 96/87
सुनं 9, 24, 38, 42 में वाकोख का 4.902
है 2 खता सं 97/86 में सुनं 29 में 0.323
है एक खता सं 20/88 सुनं 33, 34 में
2.491 है कुल 7.716 है 2 पक्की बस्त

आगामी पेशी तक रिकॉर्ड एवं सौदा की यथास्थिति बनाई रखी जावें।
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होकर दिनांक 19.5.17 को पेश हो। अप्रार्थीगण
को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावे जिसके लिए वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड
लिफाफे प्रस्तुत करें। तथा नोटिस रजिस्टर्ड का स्वामि को सही
पेशी दिनांक से पूर्व पेश करें

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

19-5-17 वकील प्रार्थी उपरिपत्र वकील
प्रार्थी द्वारा कथन किया जस कि
प्रकरण में लोक अदालत की भावना
से कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते हैं
फरि अहकाम में भी अंकन किया
कि कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते हैं
अतः दिनांक 4-5-17 को जारी
अस्थाई निषेधाज्ञा को रद्द किया जाता
जस पराबली वर्तमान स्तर पर रद्द नहीं
जाती है पराबली नम्बर से कर की जाकर
जस वकील कारिबल दफतर है।

धरमपाल झा
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

408-11

को. डी. कान्हालाल
वकील
19/5/17